24.12.24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप.। वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। प्राथमिक डिक्री जारी हो। तहसीलदार को पत्र जारी हो। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पुनः पत्रावली पेशी में ली जावे। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS 2017/00201

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:40:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संदीप कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 168/2017 GCMS:- 2017/00201 दायरा दिनांक : 01.08.2017

सन्तोबाई } पुत्रीयां श्री बूटासिंह अकवाम बावरी निवासीयान डीगां

बन्तो बाई } तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। – वादीगण

बनाम

1. रामकौर पत्नी बूंटासिंह जाति बावरी निवासी ढाबां झालार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. संतराम पुत्र श्री बूटासिंह जाति बावरी निवासी कूपली तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़।
3. बन्तराम पुत्र बूटासिंह जाति बावरी निवासी चक 20 एच तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़।
4. कीकरसिंह पुत्र बूटासिंह जाति बावरी निवासी ढाबां झालार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. भूमि धारी जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़। – प्रतिवादीगण

उपस्थिती : एडवोकेट सुरेन्द्र सुथार – वादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 व 209 आर.टी.ए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 24.12.2024

पत्रावली पेश हुंई। वादीगण के अभिभाषक उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में विचारण तथ्य यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 01 ता 04 के नाम संयुक्त खाता वाके चक 32 एम.ओ.डी. की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता नं. 139/185 के पत्थर नं. 28/269 (80) के किला नं. 13/2 में 0.127 है0 14 ता 25 में 3.036 है0, कुल 3.163 है0 व पत्थर नं. 28/270 मुरब्बा नं. 83 के किला नं. 1/1 में 0.164 है0, 2/0.253 है0, 3/0.202 है0, 4/0.152 है0, 5/0.089 है0, 9/0.025 है0 कुल 0.885 है0 इस प्रकार दोनो पत्थर नम्बरान में कुल 4.048 है0 रकबा में से 2/5 हिस्सा यानि 1.6192 है0 खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में वादीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में घरू बंटवारा करके दिया था। उक्त भूमि का कब्जा काश्त मौका पर वादीगण का है जो निम्न है :–

(क) **सन्तोबाई बन्तोबाई पुत्रीयां बूंटासिंह (वादी नं. 01 व 02)** चक 32 एम.ओ.डी. की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता नं. 139/185 के पत्थर नं. 28/269 (80) के किला नं. 21/0.146 है0 22/0.146 है0 23/0.146 है0 24/0.146 है0 25/0.150 है0 कुल 0.734 है0 व पत्थर नं. 28/270 मुरब्बा नं. 83 के किला नं. 1/1 में 0.164 है0, 2/0.253 है0, 3/0.202 है0, 4/0.152 है0, 5/0.089 है0, 9/0.025 है0 कुल 0.885 है0 ... पासा इस प्रकार दोनो पत्थर नम्बरान में कुल 1.619 है0 रकबा घरू बंटवारा ... मौका पर कब्जा काश्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:40:00 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः पेज 02 पर ....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ख) रामकौर पत्नी बूटासिंह सन्तराम, बन्ताराम, कीकरसिंह पुत्रगण बूटासिंह (प्रतिवादी नं. 01 ता 04) वाके चक 32 एम.ओ.डी. की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता नं. 139/185 के पत्थर नं. 28/269 (80) के किला नं. 13/2 में 0.127 है0 14 ता 20 में 1.771 है0, 21/0.107 है0, 22/0.107 है0, 23/0.107 है0, 24/0.107 है0, 25/103 है0 उत्तरी पासा है0, कुल 2.429 है0 रकबा घरूबंटवारानुसार प्राप्त हुआ व मौका पर कब्जा काश्त है। वादीगण को प्रतिवादीगण के पिता ने घरू बंटवारा करवा कर कब्जा सौंपा था तथा बाकी रकबा प्रतिवादीगण के कब्जाकाश्त मे संयुक्त रूप से दे रखा था। तथा वादीगण ने अपने घरू बंटवारा में प्राप्त रकबा को सुधार कर काबिल काश्त किया है तथा मौका पर वादीगण का बंटवारानुसार कब्जा काश्त में है। तथा वादीगण ने उक्त घरू बंटवारा में प्राप्त रकबा को उंटो व टैक्टरों से करावा लगाकर अन्य प्रतिवादीगण से समतल एंव सुधारा है तथा अन्य प्रतिवादीगण समतल एवं सुधारे हुए रकबे को देखकर वादीगण की इच्छा के विरूद्ध घरूं बंटवारा में प्राप्त रकबा मे घुसने की फिराक में है। इस बाबत वादीगण ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 व 209 आर.टी.ए का प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर होने के बाद नोटिस जारी हुए। नोटिस जारी होने के बाद ज्ञात हुआ कि समान रकबा का समान वाद संतराम आदि बनाम बन्तो बाई आदि पेश होने पर दिनांक 30.08.2018 को दोनो वाद को समेकित करने के आदेश हुए व आगामी तारीख पेशी 06.01.2021 को पूर्व वाद संख्या 211/2016 पदम पैरवी में खारिज होने से वाद संख्या 168/2017 पत्रावली जैरकार रही जिस पर दिनांक 20.09.2022 को वाद के प्रतिवादी नं. 03 द्वारा वादी के पक्ष में सहमति प्रकट कर सहमति शपथपत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

अतः पत्रावली वास्ते बहस प्रस्तुत होने पर वकील वादी ने मुताबिक घरू बंटवारा में प्राप्त रकबा अनुसार खाता विभाजन करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड संयुक्त खाता वाके चक 32 एम.ओ.डी. की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता नं. 139/185 के पत्थर नं. 28/269 (80) के किला नं. 13/2 में 0.127 है0 14 ता 25 में 3.036 है0, कुल 3.163 है0 व पत्थर नं. 28/270 मुरब्बा नं. 83 के किला नं. 1/1 में 0.164 है0, 2/0.253 है0, 3/0.202 है0, 4/0.152 है0, 5/0.089 है0, 9/0.025 है0 कुल 0.885 है0 इस प्रकार दोनो पत्थर नम्बरान में कुल 4.048 है0 रकबा हिस्सानुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण प्रतिवादीगण से जमाबंदी में अंकित हिस्सा मौका पर कब्जा काश्त एंव वादपत्र की मद संख्या 03 की उपमंद क व ख के अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहते है इसलिये संयुक्त खाता की भूमि का वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य जमाबंदी में उनके अंकित हिस्सा व मौका कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर खाता विभाजन किया जाना हम उचित समझतें है।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:40:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

(ओ.21 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

(बइजलास :– संदीप कुमार आर.ए.एस.)

सन्तोबाई } पुत्रीयां श्री बूटासिंह अकवाम बावरी निवासीयान डीगां
बन्तो बाई } तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। **– वादीगण**

बनाम

1. रामकौर पत्नी बूंटासिंह जाति बावरी निवासी ढाबां झालार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. संतराम पुत्र श्री बूटासिंह जाति बावरी निवासी कूपली तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़।
3. बन्तराम पुत्र बूटासिंह जाति बावरी निवासी चक 20 एच तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़।
4. कीकरसिंह पुत्र बूटासिंह जाति बावरी निवासी ढाबां झालार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. भूमि धारी जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़। **– प्रतिवादीगण**

उपस्थिती :–

श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार एडवोकेट –वादीगण

वाद पत्र 53, 188, 209 आर.टी.ए. 1955 के मुकदमा न. 168 वर्ष 2017 यह, मुकदमा वास्ते इमफिलास कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी **श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार** के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

दावा वादी स्वीकार किया जाता है तथा वादाधीन भूमि संयुक्त खाता वाके चक 32 एम.ओ.डी. की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता नं. 139/185 के पत्थर नं. 28/269 (80) के किला न. 13/2 में 0.127 है0 14 ता 25 में 3.036 है0, कुल 3.163 है0 व पत्थर नं. 28/270 मुरब्बा नं. 83 के किला न. 1/1 में 0.164 है0, 2/0.253 है0, 3/0.202 है0, 4/0.152 है0, 5/0.089 है0, 9/0.025 है0 कुल 0.885 है0 इस प्रकार दोनो पत्थर नम्बरान में कुल 4.048 है0 रकबा हिस्सानुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है के मध्य विभाजन जमाबंदी में अंकित हिस्सा एंव कब्जा काश्त अनुसार मौका पर जाकर खाता विभाजन प्रस्ताव राजस्व नियमावली के नियम 18 से 21 की पालना अनुसार तैयार किया जावे। तहसील सूरतगढ़ विभाजन प्रस्ताव जमाबंदी में अंकित हिस्सा व मौका पर कब्जा काश्त अनुसार तैयार कर नक्शा एंव वर्तमान जमाबंदी सहित प्रस्तुत करें।

नोज -------x------ मुबलिग -------x------ बाबत -------x------ खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह -------x------ फस्दों की पालना -------x------ आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 24.12.24 को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:40:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)